

बिहार सरकार
जल संसाधन विभाग

दिनांक 13.02.2026 को सम्पन्न विभागीय निविदा समिति की बैठक की कार्यवाही :

मुख्य अभियंता, सिंचाई सृजन, डिहरी परिक्षेत्राधीन गंगा पम्प नहर प्रमंडल, चौसा अंतर्गत कर्मनाशा नदी पर निकृष पम्प नहर योजना का निर्माण कार्य, एकरारनामा सं०-02SBD/2017-18 में समयवृद्धि के प्रस्ताव पर विचार हेतु आयोजित विभागीय निविदा समिति की बैठक में निम्न पदाधिकारियों ने भाग लिया :-

1. श्री संतोष कुमार मल्ल, प्रधान सचिव, जल संसाधन विभाग, पटना।
2. श्री अवधेश कुमार, अभियंता प्रमुख, सिंचाई सृजन, जल संसाधन विभाग, पटना।
3. श्री अरविन्द कुमार वर्मा, आंतरिक वित्तीय सलाहकार, जल संसाधन विभाग, पटना।
4. श्री अजय कुमार सिंह, मुख्य अभियंता, सिंचाई सृजन, जल संसाधन विभाग, डिहरी – ऑनलाईन

कार्य की विवरणी :-

| | |
|---|--|
| (क) कार्य का नाम | : कर्मनाशा नदी पर निकृष पम्प नहर योजना का निर्माण कार्य। |
| (ख) प्रशासनिक स्वीकृति की राशि एवं प्रसंग | : 8994.46 लाख रुपये, विभागीय पत्रांक 1745 दिनांक 17.10.2024 |
| (ग) एकरारनामा सं० | : 02SBD/2017-18 |
| (घ) एकरारित राशि | : 3615.53 लाख रुपये |
| (च) एकरारित राशि (विचलन सहित) | : 4286.48 लाख रुपये |
| (छ) संवेदक का नाम | : बैजनाथ निर्माण (इंडिया) प्रा०लि०, जहानाबाद |
| (ज) कार्य प्रारंभ की तिथि | : 25.10.2017 |
| (झ) कार्य पूर्ण करने की एकरारित तिथि | : 24.10.2019 |
| (ट) प्रथम स्वीकृत अवधि विस्तार | : 30.06.2022 (विभागीय पत्रांक 815 दिनांक 04.09.2020) |
| (ठ) कार्य पूर्ण करने की वास्तविक तिथि | : 30.06.2024 |
| (ड) कार्य की अद्यतन स्थिति | : 100 प्रतिशत |
| (ढ) प्रस्तावित समय वृद्धि | : 30.06.2024 (द्वितीय) |
| (त) प्रमंडल का नाम | : गंगा पम्प नहर प्रमंडल, चौसा |

समीक्षा :-

मुख्य अभियंता, सिंचाई सृजन, डिहरी परिक्षेत्राधीन गंगा पम्प नहर प्रमंडल, चौसा अंतर्गत कर्मनाशा नदी पर निकृष पम्प नहर योजना का निर्माण कार्य, एकरारनामा सं०-02SBD/2017-18 के समयवृद्धि हेतु मुख्य अभियंता, सिंचाई सृजन, डिहरी के पत्रांक 128 दिनांक 13.01.2026 द्वारा अनुशंसा सहित प्राप्त प्रस्ताव की समीक्षा की गई है।

इस एकरारनामा अंतर्गत विभागीय पत्रांक 815 दिनांक 04.09.2025 द्वारा दिनांक 30.06.2022 तक पूर्ण करने हेतु समयवृद्धि की स्वीकृति प्रदान की गयी। समीक्षोपरांत पाया गया कि मुख्यतः निम्न कारणों से प्रथम विस्तारित समय अवधि तक कार्य पूर्ण नहीं किया जा सका :-



- (i) ट्रफ चैनल में भू-अर्जन की प्रक्रिया के दौरान ग्रामीणों के विरोध के कारण जनवरी, 2023 से मार्च, 2023 तक कार्य बाधित होना।
- (ii) वर्ष 2021 में वर्षा के कारण कार्य स्थल पर पानी भर जाने के कारण दिनांक 07.07.2020 से दिनांक 03.11.2020 एवं दिनांक 15.06.2021 से दिनांक 13.11.2021 तक कार्य बाधित होना।
- (iii) कोरोना महामारी (कोविड-19) के फलस्वरूप लॉकडाउन के कारण मई 2021 से जून 2021 तक कार्य का बाधित होना।

| | बाधित अवधि | दिवस | अभियुक्ति |
|-----|---|----------|-----------|
| (क) | वर्ष 2018-2019 में कार्यान्वयन के दौरान फाउन्डेशन मेंदलदली मिट्टी मिलने के कारण जाँच-प्रतिवेदन के आधार पर स्वीकृत नक्शा में आवश्यक परिवर्तन/संशोधन किये जाने के कारण कार्य बाधित हुई है। दिनांक 26.06.2018 से 31.05.2019 तक। | 340 दिन | |
| (ख) | वर्ष 2019, 2020 एवं 2021 में वर्षा के कारण कार्य स्थल पर पानी भर जाने के कारण कार्य बाधित हुई है। दिनांक 07.07.2019 से दिनांक 31.12.2019 तक। दिनांक 07.07.2020 से दिनांक 03.11.2020 तक। दिनांक 15.06.2021 से दिनांक 13.11.2021 तक। | 450 दिन | |
| (ग) | कोरोना महामारी (कोविड-19) के फलस्वरूप लॉकडाउन के कारण कार्य बाधित हुई है। दिनांक 25.03.2020 से 25.05.2020 तक। दिनांक 01.04.2021 से 31.05.2021 तक। | 123 दिन | |
| (ग) | ट्रफ चैनल में भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया के दौरान ग्रामीणों के विरोध के कारण कार्य बाधित हुई है। दिनांक 01.01.2023 से 31.03.2023 तक। | 90 दिन | |
| | कुल | 1003 दिन | |

| कार्यकारी अवधि की गणना | | |
|------------------------|--|----------|
| (1) | एकरारनामा के अनुसार कार्य करने की अवधि (दिनांक 25.10.2017 से 24.10.2019) | 730 दिन |
| (2) | एकरारनामा के अनुसार कार्य प्रारंभ करने की तिथि एवं कार्य पूर्ण करने की वास्तविक तिथि के बीच की अवधि (25.10.2017 से 30.06.2024) | 2441 दिन |
| (3) | कुल बाधित अवधि | 1003 दिन |
| (4) | कार्यकारी अवधि (2-3) | 1438 दिन |

उक्त के आलोक में मुख्य अभियंता, सिंचाई सृजन, डिहरी द्वारा उपरोक्त एकरारनामा अंतर्गत दिनांक 30.06.2024 तक समयवृद्धि दिये जाने का अनुशांसा के साथ प्रस्ताव उपलब्ध कराया गया है।

R

D

ke

विभागीय निविदा समिति का निर्णय :-

सम्यक समीक्षोपरान्त कर्मनाशा नदी पर निकृष पम्प नहर योजना का निर्माण कार्य, एकरारनामा सं०-02SBD/2017-18 में दिनांक 30.06.2024 तक की समयवृद्धि पर विभागीय निविदा समिति की स्वीकृति प्रदान की जाती है। समय विस्तार के फलस्वरूप कोई अतिरिक्त वित्तीय दावा मान्य नहीं होगा।


(अजय कुमार सिंह)
मुख्य अभियंता,
सिंचाई सृजन, डिहरी


(अरविन्द कुमार शर्मा)
आंतरिक वित्तीय सलाहकार,
जल संसाधन विभाग, पटना


(अवधेश कुमार)
अभियंता प्रमुख, सिंचाई सृजन
जल संसाधन विभाग, पटना


(संतोष कुमार मल्लिक)
प्रधान सचिव
जल संसाधन विभाग, पटना

पत्रांक : मो०-०३-कार्य-डी०-०३/१०-११- 379

पटना, दिनांक : 16/02/26

प्रतिलिपि : मुख्य अभियंता, सिंचाई सृजन, जल संसाधन विभाग, डिहरी को विभागीय निविदा समिति की बैठक की कार्यवाही सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।



अधीक्षण अभियंता

यो० एवं मो० अंचल०-२, पटना।

पत्रांक : मो०-०३-कार्य-डी०-०३/१०-११- 379

पटना, दिनांक : 16/02/26

प्रतिलिपि : कार्यपालक अभियंता, आई० टी०, जल संसाधन विभाग, पटना को सूचनार्थ एवं विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।


अधीक्षण अभियंता

यो० एवं मो० अंचल०-२, पटना।